

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

22 दिसम्बर, 2022 (ई०)

गुरुवार, तिथि-

[दशम् (शीतकालीन) सत्र]

01 पौष, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- तारांकित एवं अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-12-22 एवं 21-12-2022 से स्थगित)
- (05)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-2022 से स्थगित)
- (06)- सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो, नलिन सोरेन एवं श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-2022 से स्थगित)
- (07)- श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-2022 से स्थगित)
- (08)- श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-2022 से स्थगित)

(09)-श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-21-12-2022 से स्थगित)

(10)- श्री बिनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(11)-सर्वश्री राज सिन्हा, मनीष जायसवाल एवं श्री बिरंची नारायण,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(12)-श्री बसंत सोरेन, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(13)- श्री समीर कुमार मोहन्ती,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (भवन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(14)-सुश्री अम्बा प्रसाद,श्री कुमार जयमंगल एवं श्री सोनाराम सिंघु,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(15)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(16)-प्रभारी मंत्री,संसदीय कार्य विभाग द्वारा “झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग”,राँची के द्वारा उपलब्ध कराये गए वार्षिक प्रतिवेदन 2021- 22 को मानव संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा-20(2) की प्रति सभा पटल पर रखा जाना।

(17)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(18)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: राजकीय विधेयक :-

“झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2022”

(19)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2022”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

- (20)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (21)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2022”पर विचार हो।
- (22)- विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2022”स्वीकृत हो।
- “झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2022”
- (23)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2022”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (24)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (25)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2022”पर विचार हो।
- (26)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2022”स्वीकृत हो।

“सोना देवी विश्वविद्यालय,विधेयक,2022”

- (27)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक,2022”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (28)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक,2022”पर विचार हो।
- (30)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक,2022”स्वीकृत हो।

“बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक,2022”

- (31)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि“बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक,2022”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

- (32)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (33)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (34)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

“जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022”

- (35)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (36)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (37)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (38)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

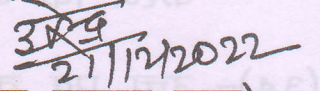
“झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022”

- (39)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (40)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (41)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (42)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।
- (43)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
कृ०पृ०३०.....५

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२२-२५५५/वि०स०,राँची,दिनांक-२१/१२/२२

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

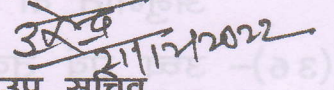

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२२-२५५५/वि०स०,राँची,दिनांक-२१/१२/२२

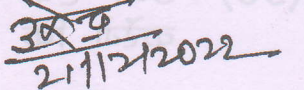
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२२-२५५५/वि०स०,राँची,दिनांक-२१/१२/२२

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण भगत

उप सचिव

राँची

दिनांक २१/१२/२०२२

०८०८०८०८